उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज .....बनाम.....	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मु. सं.	
[illegible] की सूचना 90 दिवस की अवधि में ही [illegible] में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। [illegible] का उचित कारण होना चाहिए। वादी द्वारा [illegible] पक्ष कारान की सूचना न्यायालय में विलम्ब [illegible] व विलम्ब का कोई उचित कारण नहीं [illegible] के कारण वादी का दावा अकेटमेन्ट की [illegible] में खारिज योग्य है। अतः वादीगण का दावा मूलकों की सूचना समय पर नहीं दिये जाने के कारण अकेटमेन्ट में खारिज किया जाता है। [illegible] कौशल कुमार होकर नम्बर से कम हो। [illegible] तकसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दि. 11.3.22 को सुनाया गया।	

उपखंड अधिकारी
महुवा जिला-दौसा (राज०)